न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली स्थित कैराना।

उपस्थितः—**इन्द्र प्रीत सिंह जोश, उच्चतर न्यायिक सेवा।**

(**J-O- Code- UP 1894**)

सत्र परिक्षण सं0—**689/2022,**

राज्य .... अभियोजन पक्ष,

बनाम

1. राहुल पुत्र सतेन्द्र, । समस्त निवासीगण ग्राम पेलखा,
2. नितिन पुत्र नरेश, । थाना गुढीपुख्ता, जला शामली ।
3. संदीप पुत्र अशोक, । .... अभियुक्तगण,

मु0अ0सं0—200/2019,
धारा 308/34,323/34,324/34,504 भा0द0सं0
थाना—गढीपुख्ता, जिला शामली।

राज्य—**श्री संजय चौहान**, **जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक,**

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण—**श्री शगुन मित्तल एवं श्री विनय शर्मा।**

निर्णय

1. अभियुक्तगण राहुल, नितिन एवं संदीप का विचारण इस न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 689/2022 के मामले में धारा 308,323,324,504 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए किया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त कथन इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादी मुकदमा दीपक पुत्र चन्द्रपाल द्वारा दिनांक 07.10.2019 को थाना गढीपुख्ता में इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 07.10.2019 को समय करीब 05:00 बजे वादी मुकदमा के गांव के राहुल, नितिन, संदीप, जिनके पिता का नाम राहुल पुत्र सतेन्द्र, नितिन पुत्र नरेश एवं संदीप पुत्र अशोक के द्वारा हाथ में फावडा, लाठी—डन्डा लेकर गाली गलोच करते हुए मारपीट करते, जिससे वादी मुकदमा दीपक व संदीप को काफी चोट लगी है। इनमा मेडिकल कराकर रिपोर्ट लिखने की कृपा करे।

3. दिनांक 07.10.2019 को ही समय 07:05 बजे चुटैल दीपक एवं सन्दीप पुत्रगण चन्द्रपाल का चिकित्सीय परीक्षण सी.एच.सी, ऊन, जिला शामली पर किया गया। उसके पश्चात चुटैल को गम्भीर चोटें होने के कारण जिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर रेफर किया गया, जहॉं पर चुटैल दीपक का उपचार व एक्सरे एवं सी.टी. स्कैन आदि किया गया। दिनांक 08.10.2019 को उक्त तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर धारा 323, 504 भा.द.सं. के अन्तर्गत एन.सी.आर. के रूप में मामला दर्ज किया गया। तत्पश्चात दिनांक 17.10.2019 को चुटैल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एन.सी.आर. को तरमीम करते हुए मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0 200/2019, अन्तर्गत धारा 323,324,504 भा0 द0 सं0 में दर्ज की गयी, जिसका इन्द्राज नकल जी0 डी0 कायमी मुकदमा में किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना श्री खुर्शीद अली, उपनिरीक्षक को सुपुर्द की गयी तथा विवेचक द्वारा चुटैल दीपक की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, सी0टी0 स्कैन के आधार पर मामले में धारा 308 भा0द0सं0 की वृद्धि की गयी। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा दिनांक 19.10.2019 को घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी

INDERPREET JOSH
Digitally signed by INDERPREET JOSH
Date: 2026.07.08 07:15:13 +01'00'

तैयार किया गया। विवेचना के दौरान संकलित सामग्री के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्तगण राहुल, नितिन एवं संदीप के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 308, 323, 324, 504 भा0द0सं0 के दण्डनीय अपराध के लिए न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

4. उपरोक्त मु0अ0सं0 200/2019, थाना गढीपुख्ता, जिला शामली के मामले में प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 308,323,324,504 भा0द0सं0 के आधार पर मामले का प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्तगण राहुल, नितिन एवं संदीप को तलब करने के उपरान्त धारा 207 द0प्र0सं0 का अनुपालन कर न्यायालय सिविल जज, सी0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना, जिला शामली द्वारा दिनांक 02.08.2022 को विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किया गया।

5. उपरोक्त मामला सत्र सुपुर्द होने के उपरान्त इस न्यायालय के तत्कालीन जनपद न्यायाधीश, शामली द्वारा दिनांक 29.08.2022 को अभियुक्तगण राहुल, नितिन एवं संदीप के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 308 सपठित धारा 34, 323 सपठित धारा 34, 324 सपठित धारा 34, 504 भा0द0सं0 विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

6. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का विवरण निम्नवत है:-

ए. मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यः-

अभियोजन साक्षी कमांक	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**	**साक्षी द्वारा साबित किए गए प्रपत्र**	**प्रदर्श कमांक**
01.	दीपक उर्फ सूरज कुमार	वादी मुकदमा	तहरीर	प्रदर्श क-1
02	संदीप	चुटैल	-	-
03.	सतपाल	-	-	-
04.	चन्द्रपाल	-	-	-
05.	कुलवेन्द्र	-		-
06.	सचिन	-	-	-
07.	सूरज	-	-	-
08.	डॉ0 तरूण चौधरी	चिकित्सीय परीक्षणकर्ता	चुटैल दीपक की चिकित्सीय परीक्षण आख्या चुटैल संदीप की चिकित्सीय परीक्षण आख्या चुटैल दीपक की सप्लीमेन्ट्री आख्या	प्रदर्श क-2 प्रदर्श क-3 प्रदर्श क-4
-		-	चिक एफ.आई.आर	प्रदर्श क-5
-	-	-	नकल जी डी	प्रदर्श क-6

			कायमी मुकदमा	
—		—	नक्शा नजरी	प्रदर्श क—7
—	—	—	आरोप पत्र	प्रदर्श क—8

7. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 दिनांक 26.05.2026 को दर्ज किया गया। अपने बयान में उक्त अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01, पी0डब्लू02, पी0डब्लू03, पी0डब्लू04, पी0 डब्लू05, पी0डब्लू06 एवं पी0डब्लू07 के साक्ष्य के संबंध में पूछे गए प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 व 7 के उत्तर में कुछ नहीं कहा, बल्कि यह कहा कि उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। उक्त अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षी पी0डब्लू08 के साक्ष्य के संबंध में पूछे गए प्रश्न संख्या 8, 9 व 10 के उत्तर में कहा कि गलत साक्ष्य दिया है। प्रश्न सं0 11 यह कि अभियोजन द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में चिक एफ.आई.आर **प्रदर्श क—5,** नकल जी.डी. कायमी मुकदमा **प्रदर्श क—6,** नक्शा नजरी **प्रदर्श क—7** एवं आरोप पत्र **प्रदर्श क—8,** जिनकी औपचारिक सत्यता आपके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी है, के उत्तर में कुछ नहीं कहा है। प्रश्न सं0 12 अभियोजन साक्षीगण आपके विरूद्ध साक्ष्य क्यों दे रहे हैं, के उत्तर में उक्त अभियुक्तगण ने कहा कि गलत साक्ष्य दे रहे हैं। प्रश्न सं0 13 क्या ओर कुछ कहना है, के उत्तर में उक्त अभियुक्तगण ने कहा कि हम निर्दोष हैं, हमे इस मामले में रंजिशन झूठा फंसाया गया है,।

8. उक्त अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री संजय चौहान एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण श्री शगुन मित्तल तथा श्री विनय शर्मा की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

निष्कर्ष

10. अभियोजन ने अपने कथानक को साबित करने के लिए कुल 8 साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराये हैं। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01 दीपक उर्फ सूरज कुमार पुत्र चन्द्रपाल, जो इस मामले का चुटैल भी है, ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *घटना अब से चार वर्ष पूर्व की है, शाम के करीब 5—6 बज रहे थे। मैं अपने गांव में ताना वाली सडक पर घूम रहा था तो मैंने देखा कि गांव के सतपाल के लडके सूरज के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे है। मैंने सूरज को छुडाने का प्रयास किया था, मेरा भाई संदीप भी शोर शराबे पर मौके पर आ गया था।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *उन व्यक्तियों ने मेरे व मेरे भाई संदीप के साथ मारपीट की थी, जिसमें मुझे व मेरे भाई को भी चोटें आ गयी थी।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *मेरा इलाज*

सरकारी अस्पताल ऊन में हुआ था। जहॉ से मुझे मुजफ्फरनगर सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था, जहॉ पर मेरा इलाज हुआ था। घटनास्थल पर और भी बहुत से व्यक्ति आ गये थे। आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *घटना के संबंध में एक तहरीर लिखकर उसपर अपने हस्ताक्षर कर थाने पर दी थी। पत्रावली पर कागज संख्या 26क तहरीर पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर शिनाख्त किये, जिसपर* ***प्रदर्श क–1*** *डाला गया।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *तहरीर गवाह को पढ़कर सुनायी गयी तो गवाह ने सुनकर कहा कि मैंने ऐसी तहरीर नहीं लिखी थी। हाजिर अदालत मुल्जिमान नितिन, राहुल व संदीप पुत्र अशोक मेरे गांव के रहने वाले है। मैं अच्छी तरह से जानता पहचानता हूॅं। इन लोगों ने मेरे व मेरे भाई संदीप के साथ लाठी, डंडों व धारदार हथियारों से हमला करके कोई चोट नहीं पहुॅचाई थी और न ही कोई कभी हमला किया था।* इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा इस साक्षी से प्रति परीक्षा की गयी। इस साक्षी को प्रति परीक्षा के दौरान उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 द0 प्र0 सं0 पढ़कर सुनाया गया तो *उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, पता नहीं कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *यह कहना गलत है कि दिनांक 07.10.2019 को शाम के पांच वाले ताने वाले सडक पर हाजिर अदालत मुल्जिमान संदीप, नितिन व राहुल हमारे गांव के सतपाल के लडके सूरज के साथ मारपीट कर रहे हो और उसके छुडाने के प्रयास में इन लोगों ने मुझे व मेरे भाई को मारपीट कर चोट पहुॅचाई हो।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *तहरीर मैंने अपने होशों हवास में नहीं लिखी थी, सिर में खून देखकर मैं बदहवास हो गया था। मौके पर आये व्यक्तियों ने तहरीर बोलकर लिखवा दी थी और मारपीट करने वाले लोग अन्य व्यक्तियों के आने से पहले भाग चुके थे।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *मुझे घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के बारे में आजतक भी नहीं पता कि किसने हमारे साथ घटना कारित की थी।* इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि *हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर गवाह ने कहा कि यह सब मेरे गांव के हैं, मैं भली प्रकार से इनको जानता हूॅं। मुल्जिमानों के द्वारा मुझे व मेरे भाई संदीप को कोई धारदार हथियार व लाठी, डंडों द्वारा मारपीट की हो।* इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू01 की मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा तथा बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि जिससे अभियोजन के कथानक का समर्थन होता हो कि कथित घटना उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गयी है।

11. पी0डब्लू02 सन्दीप पुत्र चन्द्रपाल, जो कि चुटैल भी है, ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *दिनांक 07.10.2019 को शाम के पांच बजे की घटना है। मैं अपने घर पर था। शोर सराबे की आवाज सुनाई दी तो मैं शोर सुनकर घटनास्थल*

पर पहुॅचा तो कुछ अज्ञात व्यक्ति मेरे भाई दीपक के साथ मारपीट कर रहे थे। मैंने अपने भाई दीपक को उन लोगों से छुडाने का प्रयास किया तो उन्होंने मेरे साथ भी मारपीट की थी। शोर शराबा सुनकर मेरे पिताजी चन्द्रपाल व गांव के काफी लोग भी घटनास्थल पर आ गये थे, जिन्हें देखकर अज्ञात व्यक्ति मोटरसाईकिल पर बैठकर भाग गये थे, मैंने उनको पहचाना नहीं था। आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *हाजिर अदालत मुल्जिमान नितिन, राहुल व संदीप पुत्र अशोक को देखकर गवाह ने कहा कि यह मेरे गांव के है, मैं इनको जानता व पहचानता हूॅ, इन्होंने मेरे व मेरे परिवार के लोगों के साथ मारपीट नहीं की और न ही मारपीट करके कोई चोटे पहुॅचाई।* इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा इस साक्षी से प्रति परीक्षा की गयी। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि *साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, पता नहीं कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *यह कहना गलत है कि दिनांक 07.10.2019 को शाम के पांच बजे सड़क पर हाजिर अदालत मुल्जिमान संदीप, नितिन व राहुल मेरे भाई दीपक के साथ मारपीट कर रहे हो और उसके छुडाने के प्रयास में इन लोगों ने मुझे व मेरे भाई को मारपीट कर चोट पहुॅचाई हो।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *मुझे घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के बारे में आजतक भी नहीं पता कि किसने हमारे साथ मारीपट की थी।* इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि *हाजिर अदालत मुल्जिमान संदीप, नितिन व राहुल को देखकर कहा कि यह वह लोग नहीं है, जिन्होंने मेरे व मेरे भाई दीपक व पिताजी चन्दरपाल के साथ मारपीट की थी।* इस प्रकार इस साक्षी की मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा एवं बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि जिससे अभियोजन के कथानक का समर्थन होता हो कि कथित घटना उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गयी है।

12. पी0डब्लू03 सतपाल पुत्र माहीचंद ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *मैं अपने घर पर था। समय करीब शाम के पांच बजे दिनांक 07.10.2019 को कुछ अज्ञात व्यक्ति दीपक व संदीप के साथ मारपीट कर रहे थे। शोर सुनकर मैं जब बाहर आया तो संदीप व दीपक घायल अवस्था में थे और मारपीट करने वाले मेरे आने से पहले ही मौके से भाग गये थे। मैंने किसी को मारपीट करते हुए नहीं देखा था।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *हाजिर अदालत मुल्जिमान नितिन, राहुल व संदीप पुत्र अशोक को देखकर गवाह ने कहा कि यह मेरे गांव के है, मैं इनको जानता व पहचानता हूॅ, इन्होंने दीपक व संदीप के साथ मारपीट कर जान से मारने की नियत से मेरे सामने कोई मारपीट नहीं की।* इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर

पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा इस साक्षी से प्रति परीक्षा की गयी। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि *साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, पता नहीं कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *यह कहना गलत है कि दिनांक 07.10.2019 को शाम के पांच बजे दीपक व संदीप के साथ मेरे सामने हाजिर अदालत मुल्जिमान नितिन, राहुल व संदीप पुत्र अशोक मारपीट करके घायल नहीं किया था।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *मुझे घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के बारे में आजतक भी नहीं पता कि किसने दीपक व संदीप के साथ मारपीट की थी।* इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि *हाजिर अदालत मुल्जिमान संदीप, नितिन व राहुल को देखकर कहा कि यह वह लोग नहीं है, जिन्होंने दीपक व संदीप के साथ मारपीट की थी और जान से मारने की नियत से हमला कर घायल किया था।* इस प्रकार इस साक्षी की मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा एवं बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि जिससे अभियोजन के कथानक का समर्थन होता हो और कथित घटना उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गयी हो, बल्कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने कोई घटना ही नहीं देखी है।

13. पी0डब्लू04 चन्द्रपाल पुत्र पुरण सिंह ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *दिनांक 07.10.2019 की घटना है, शाम का समय था, मैं अपने खेत पर गया हुआ था। मेरे पास घर से फोन गया कि संदीप और दीपक को चोट लग गई है। जब मैं घर वापस आया तो मुझे बताया गया कि सडक पर कुछ अज्ञात व्यक्ति लडाई झगडा कर रहे थे और उनके बीच छुट छटाव के दौरान हमें चोट लग गई है। फिर हम इनकों अस्पताल में ले गये थे और उसके बाद दीपक का इलाज सरकारी अस्पताल मुजफ्फरनगर में हुआ था।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *हाजिर अदालत मुल्जिमान नितिन, राहुल व संदीप पुत्र अशोक को देखकर गवाह ने कहा कि यह मेरे गांव के हैं, मैं इनको जानता व पहचानता हूँ, इन्होंने दीपक व संदीप के साथ मेरे सामने या मेरी जानकारी में मारपीट करके कोई चोटे नहीं पहुॅचाई थी।* इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा इस साक्षी से प्रति परीक्षा की गयी। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि *मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, पता नहीं कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *यह कहना गलत है कि दिनांक 07.10.2019 को शाम के पांच बजे मेरी जानकारी में या मेरे सामने हाजिर अदालत मुल्जिमान नितिन, राहुल व*

संदीप पुत्र अशोक मेरे बेटों दीपक व संदीप के साथ मारपीट करके कोई चोटे पहुॅचाई हो या दीपक व संदीप ने मुझे यह बताया हो कि इन लोगों ने मारपीट करके घायल किया हो। आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *मुझे आज तक भी नहीं पता कि दीपक व संदीप के साथ यह घटना किसने कारित की थी।* इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि *हाजिर अदालत मुल्जिमान संदीप, नितिन व राहुल को देखकर कहा कि यह वह लोग नहीं है, जिन्होंने मेरे बेटे दीपक व संदीप के साथ मारपीट की थी और जान से मारने की नियत से हमला कर घायल किया था। मेरे बेटों को चोट शराबी व्यक्तियों के छुट छटाव कराते समय लगी थी।* इस प्रकार इस साक्षी की मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा एवं बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि जिससे अभियोजन के कथानक का समर्थन होता हो कि कथित घटना उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गयी हैं, बल्कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने कोई घटना ही नहीं देखी है और न ही उसने कोई घटना देखी है।

14. पी0डब्लू05 कुलवेन्द्र पुत्र सुरेश ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *दिनांक 07.10.2019 को मैं अपने गांव में मौजूद नहीं था, बल्कि पुसार, थाना दोघट, जिला बागपत शराब के ठेके पर नौकरी करता था। मैं अपने गांव में कई महीनों से नहीं आया था, मैंने कोई घटना नहीं देखी है। मेरे सामने संदीप, राहुल, नितिन ने अपने हाथो में लाठी डंडें लेकर धारदार हथियार लेकर दीपक पुत्र चंद्रपाल के साथ मारपीट नहीं की थी, न ही गाली गलौच की थी और न ही दरोगा जी ने घटना के संबंध में ब्यान लिया था।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *हाजिर अदालत मुल्जिमान संदीप व नितिन व गैर हाजिर मुल्जिम राहुल ने कभी भी मेरे सामने मेरे गांव के दीपक के साथ धारदार हथियारो से मारपीट व गाली गलौच नहीं की।* इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा इस साक्षी से प्रति परीक्षा की गयी। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि *साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, पता नहीं कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *यह कहना गलत है कि दिनांक07.10.2019 को शाम के पांच बजे सडक पर हाजिर अदालत मुल्जिमान संदीप, नितिन व राहुल मेरे भाई दीपक के साथ मारपीट कर रहे हो और उसके छुडाने के प्रयास में इन लोगों ने मुझे व मेरे भाई को मारपीट कर चोट पहुॅचाई हो।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *मुझे घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के बारे में आजतक भी नहीं पता कि किसने हमारे साथ मारीपट की थी।* इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि *हाजिर अदालत*

मुल्जिमान संदीप व नितिन व गैर हाजिर मुल्जिम राहुल को देखकर कहा कि यह वह लोग नहीं है, जिन्होंने दीपक पुत्र चन्द्रपाल के साथ मेरे सामने कोई मारपीट नहीं की और न ही गाली गलौच की। इस प्रकार इस साक्षी की मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा एवं बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि जिससे अभियोजन के कथानक का समर्थन होता हो कि कथित घटना उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गयी है, बल्कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने कोई घटना ही नहीं देखी है।

15. पी0डब्लू06 सचिन पुत्र देशपाल ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *दिनांक 07.10.2019 को मैं अपने गांव में मौजूद नहीं था, मैं शामली माजरा रोड पर शराब के ठेके पर काम करता था। घटना के समय से कई महीनों पहले से मैं शामली में रह रहा था। मैंने कोई घटना नहीं देखी है। मेरे सामने संदीप, राहुल, नितिन ने अपने हाथो में लाठी डंडें लेकर धारदार हथियार लेकर दीपक पुत्र चंद्रपाल के साथ मारपीट नहीं की थी, न ही गाली गलौच की थी और न ही दरोगा जी ने घटना के संबंध में ब्यान लिया था।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *हाजिर अदालत मुल्जिमान संदीप व नितिन व गैर हाजिर मुल्जिम राहुल ने कभी भी मेरे सामने मेरे गांव के दीपक के साथ धारदार हथियारो से मारपीट व गाली गलौच नहीं की।* इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा इस साक्षी से प्रति परीक्षा की गयी। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि *मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, पता नहीं कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *यह कहना गलत है कि दिनांक 07.10.2019 को शाम के पांच बजे सडक पर हाजिर अदालत मुल्जिमान संदीप, नितिन व राहुल मेरे भाई दीपक के साथ मारपीट कर रहे हो और उसके छुडाने के प्रयास में इन लोगों ने मुझे व मेरे भाई को मारपीट कर चोट पहुॅचाई हो।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *मुझे घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के बारे में आजतक भी नहीं पता कि किसने हमारे साथ मारीपट की थी।* बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि *हाजिर अदालत मुल्जिमान संदीप व नितिन व गैर हाजिर मुल्जिम राहुल को देखकर कहा कि यह वह लोग नहीं है, जिन्होंने दीपक पुत्र चन्दरपाल के साथ मेरे सामने कोई मारपीट नहीं की और न ही गाली गलौच की।* इस प्रकार इस साक्षी की मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा एवं बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि जिससे अभियोजन के कथानक का समर्थन होता हो, बल्कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने कोई घटना ही नहीं देखी है।

16. पी0डब्लू07 सूरज पुत्र सतपाल ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *घटना दिनांक 07.10.2019 को शाम के पाँच बजे की है। उस समय में घर पर ही था। मेरे घर के सामने हाजिर अदालत सन्दीप, नितिन और राहुल ने मेरे साथ गाली गलौच की और मेरे भतीजे दीपक के साथ मारपीट की और सिर पर फावड़ा मारा। शोरगुल सुनकर सन्दीप, सचिन, कुलविन्दर, चन्द्रपाल, सतपाल, देशपाल व अन्य लोग भी आ गये थे। सौ नम्बर की पुलिस भी आ गयी थी। भतीजे दीपक को इलाज के लिये गढी ले गये थे, जहाँ उसकी गम्भीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया गया था। मेरठ में दीपक दो दिन भर्ती रहा था। दरोगा जी ने मेरे बयान लिये थे।* बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि *घटना के समय मेरे पिताजी भी मौके पर आ गये थे। मेरे पिताजी का नाम सतपाल है। मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी के इस मुकदमे में बयान हो चुके हैं या नहीं। दरोगा जी घटना से अगले दिन मुझसे पूछताछ करने आये। दरोगा जी ने मेरे बयान घर पर ही लिये थे। दरोगा जी ने मेरे सामने केवल मेरा बयान ही लिया था।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *मैंने दरोगा जी को यह बात बतायी थी कि मुल्जिमान अपने हाथ में फावड़ा ले रखे थे, जिन्होंने उसी फावड़े से दीपक पर वार किया था। दरोगा जी ने यदि फावड़े वाली बात मेरे बयानों में नहीं लिखी है, तो इसका में कोई कारण नहीं बता सकता हूँ।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *मेरे साथ मुल्जिमान ने कोई मारपीट नहीं की थी। मुझे नहीं पता कि घटना की रिपोर्ट किसने लिखाई थी। चुटैल दीपक को लेकर गढी नहीं गया था, उसके पिताजी उसके साथ गये थे और न ही कभी मैं मेरठ उसने मिलने गया था। दीपक को सिर में चोट आयी थी। दीपक मेरा भतीजा है। मैंने दीपक को बचाने की कोशिश की थी, उस समय पुलिस आ गयी थी। पुलिस ने मौके से उस समय किसी को गिरफ्तार नहीं किया था।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *यह कहना गलत है कि मेरे सामने कोई घटना घटित न हुई हो।*

17. पी0डब्लू08 डॉ0 तरूण चौधरी ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *दिनांक 07.10.2019 को मैं उपरोक्त पद पर तैनात था। उस दिन इमरजेंसी में मेरी डियूटी थी। मेरे द्वारा शाम 07:05 बजे पर दीपक पुत्र चंद्रपाल उम्र लगभग 26 वर्ष का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। दीपक का पहचान चिह्न ऊपर वाले होठ में बीच में तील का निशान था। इमरजेंसी में उन्हें चन्द्रपाल पुत्र पुरण सिंह के द्वारा लाया गया था, लडाई झगडे का मामला था। मेरे द्वारा मेडिकल परीक्षण में पाया गया कि मरीज अर्धमुर्छित अवस्था में था। इनका बीपी 170/90, पंल्स 86 पर मिनट तथा ग्लासगो कोमा स्केल–11 था। चोट का विवरण निम्न है:–*

1- Incise Wound size 4cm X 0.5cm on left side parital region of head active bleeding present bone deep, with

Swelling around the injury and injury is 9cm above from left ear pinna. Keep under observation.

2- An abrasion size 0.8cm X 0.6cm with swelling around injury above 3cm X 2.5cm.

3- A linear incise wound size 3.5cm X 0.2cm on left side of arm, 16cm above on left elbow, clotted blood present.

Opinion- Injury no. 1 & 3 caused by sharp object. Injury no. 2 caused by hard and blunt object.

Duration of injury is fresh.

आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *दिनांक 07.10.2019 को समय 07:15 पी0एम0 पर मेरे द्वारा संदीप पुत्र चंद्रपाल उम्र लगभग 20 वर्ष का मेडिकल परीक्षण किया गया। मरीज का पहचान चिह्न– चेहरे पर दायी ओर तील का निशान जो नाक से 0.9 से0मी0 दूर था। यह मामला लडाई झगडे का था। मेरे द्वारा मेडिकल परीक्षण में पाया गया कि मरीज अपने होशो हवास में था। सभी वाईटल सामान्य थे। चोट का विवरण निम्न हैः–*

1- Lacerated Wound size 1.8cm X 0.6cm on left side of forehead and eyeborw, active bleeding present Muscle deep, with Swelling size 3cm X 2.5cm.

2- Complain of pain in left side of wrist joint no swelling tenderness present.

Opinion- Injury no. 1 & 2 caused by hard and blunt object. *Duration of injury is fresh.*

आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *Supplementry report मेरे द्वारा दिनांक 04.11.2019 को चुटैल दीपक पुत्र चंद्रपाल की Supplementry report तैयार की गयी, जिनका चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 07.10.2019 को शाम 07:05 बजे पर सी0एच0सी0 ऊन पर किया गया था। मरीज की गंभीर अवस्था को देखते हुए मरीज को जिला अस्पताल, मुजफ्फरनगर पर एक्स–रे एवं ईलाज के लिए रेफर किया गया था, क्योंकि मरीज की चोट हड्डी की गहराई की थी एवं मरीज को लगातार रक्तस्राव हो रहा था। एक्स–रे रिपोर्ट में मरीज को कोई हड्डी की चोट नहीं आयी, लेकिन मरीज की Physical finding एवं मरीज की चोट और altersensorium with GCS-11 को देखते हुए चोट को गंभीर माना गया, इसलिए चोट नंबर–1 व 2 को "Dangerous to the life of patient" माना गया।* आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि *पत्रावली पर मौजूद मेडिकल रिपोर्ट कागज संख्या 6क/1 ता 6क/2 व सप्लीमेन्ट्री कागज संख्या 7क को देखकर गवाह ने कहा कि यह रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी,*

*जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, मैं शिनाख्त करता हूँ, जिनपर क्रमशः **प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4** डाला गया।* बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि *चुटैल संदीप की सभी चोटें साधारण थी। चुटैल दीपक को जो चोटें आयी थी, वह किसी धारदार धातू पर गिरने आ सकती है। ताजा चोट की अवधि छः घण्टे की भीतर होती है। दीपक को जो चोट आयी थी, उनसे लगातार खून बह रहा था, वह चोटे चुटैल को एक से दो घण्टे पहले आना संभव है। कोई पुलिसकर्मी चुटैलों के साथ नहीं आया था।* इस प्रकार इस साक्षी की मुख्य परीक्षा तथा बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा से चुटैल संदीप एवं चुटैल दीपक का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है।

18. अन्य कोई साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है। इस प्रकार अभियोजन के उक्त साक्षीगण की संपूर्ण साक्ष्य के सजगता से किए गए परिशीलन में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि जिससे अभियोजन कथानक को बल मिले। कथित घटना के चुटैल दीपक (पी0डब्लू01), चुटैल संदीप (पी0डब्लू02) के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कथित उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण को न पहचानने तथा अभियुक्तगण नितिन, राहुल व संदीप पुत्र अशोक के द्वारा घटना स्थल पर कोई घटना कारित न किये जाने का कथन किया गया है। साक्षीगण सतपाल (पी0डब्लू03), चन्द्रपाल (पी0डब्लू04), कुलवेन्द्र (पी0डब्लू05) व सचिन (पी0डब्लू06) के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कथित घटना दिनांक व समय को उनके सामने कोई घटना कारित न होने का कथन किया गया है। इस प्रकार घटना के तथ्य के उक्त साक्षीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, जिससे उनकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त मामले के साक्षी पी0डब्लू07 सूरज ने अपने साक्ष्य में कथित दिनांक व समय को अभियुक्तगण संदीप, नितिन एवं राहुल द्वारा उसके साथ गाली गलौच करना और उसके भतीजे दीपक के साथ मारपीट करते हुए सिर पर फावड़ा मारकर घायल करना बताया है। जबकि चुटैल दीपक एवं संदीप द्वारा इसके विपरीत कथन करते हुए अभियुक्तगण संदीप, नितिन एवं राहुल द्वारा उनके साथ कोई घटना कारित किये जाने से इंकार किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान मौखिक रूप से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्षी पी0डब्लू07 सूरज ने उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध इसलिए गवाही दी है कि उनका पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा है, पक्षकार एक ही गांव के रहने वाले हैं तथा गांवों में सभी में आपसी सहमति बनी हुई है, परन्तु साक्षी पी0डब्लू07 सूरज मनमानी करता है, जिस कारण वह अभियुक्तगण से रंजिश रखता है, इसी रंजिश के कारण झूठी गवाही दी है। यद्यपि यह सत्य है कि बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की यर्थाथता को स्वीकार किया गया है, परन्तु यदि घटना के वादी व चक्षुदर्शी अथवा चुटैल साक्षियों के साक्ष्य द्वारा घटना

समर्थित नहीं है, तो मात्र अभियोजन प्रपत्रों की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

19. **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था नरेन्द्र कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), 2012 (7) एस०सी०सी० पेज 171 (सुप्रीम कोर्ट)** में यह अवधारित किया गया है कि–

> अभिनिश्चात्मक अपराध के प्रत्येक आवश्यक तत्व का सिद्धि भार सदैव अभियोजन पक्ष पर होता है, जिसे वह स्थापित करने की मांग करता है। सिद्धि का भार कभी भी स्थानांतरित नहीं होता है। प्रतिरक्षा का यह कर्तव्य नहीं है कि वह इस बात का स्पष्टीकरण दे कि उसे किस प्रकार से और क्यों पीड़ित या अन्य साक्षी ने अभियुक्त को घटना में सम्मिलित किया है। अभियोजन पक्ष को अपनी टांगों पर खडा होना पडेगा। वह प्रतिरक्षा की दुर्बलता का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

20. वादी मुकदमा दीपक ने घटना की तहरीर के सम्बंध में यह कथन किया है कि घटना के सम्बन्ध में एक तहरीर लिखकर उस पर हस्ताक्षर करके थाना पर दी गयी थी, जिसके आधार पर मामले में कार्यवाही हुई थी। साक्षी ने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर शिनाख्त कर उसे **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है, परन्तु इस साक्षी ने तहरीर के सम्बंध में कथन किया है कि मैंने ऐसी तहरीर नहीं लिखी थी। उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा पी.डब्लू.1 दीपक द्वारा वर्तामान मामले में तहरीर प्रदर्श क–1 पर अपने हस्ताक्षर होने की शिनाख्त की गयी है। अतः उपरोक्त अभियोजन साक्षी दीपक द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि या तो इस साक्षी द्वारा घटना की बाबत अभियुक्तगण के विरूद्ध, जो तहरीर प्रदर्श क–1 दी गई है, वह असत्य है अथवा इस साक्षी द्वारा न्यायालय में, जो घटना के सम्बंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, वह झूठा है। इस प्रकार वादी मुकदमा पी.डब्लू.1 दीपक ने न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ मिथ्या साक्ष्य दिया है और यह न्यायालय इस मत का है कि न्यायहित में वादी मुकदमा पी.डब्लू.1 दीपक का न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के लिए संक्षिप्त विचारण धारा 344 दं0प्र0सं0/383 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत किया जाए। अतः वादी मुकदमा अभियोजन साक्षी पी.डब्लू01 दीपक के विरूद्ध धारा 344 दं0प्र0सं0/383 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया जाता है।

21. उक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक को आपराधिक घटना कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी, डण्डों, धारदार हथियार से मारपीट करके चुटैल दीपक एवं संदीप को चोटें पहुंचायी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध

कोई भी आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है और उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण राहुल, नितिन एवं संदीप के विरूद्ध कोई भी आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण राहुल, नितिन एवं संदीप, सत्र परीक्षण संख्या 689/2022 के मामले में आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 308/34,323/34,324/34,504 भा0द0सं0 से संदेह से परे साबित न होने के कारण दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण राहुल, नितिन एवं संदीप को सत्र परीक्षण सं0 689/2022, मु0अ0सं0 200/2019, राज्य प्रति राहुल आदि के मामले में आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 308/34, 323/34, 324/34, 504 भा0द0सं0 से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण राहुल, नितिन एवं संदीप उक्त मामलें में जमानत पर हैं, उनके बन्ध पत्र निरस्त कर प्रतिभू को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

वादी मुकदमा पी0डब्लू01 दीपक के विरूद्ध धारा 344 दं0प्र0सं0/383 बी.एन.एस.एस. के तहत पृथक से **प्रकीर्ण वाद दर्ज** कर वादी मुकदमा अभियोजन साक्षी–1 दीपक के विरूद्ध धारा 344 दं0प्र0सं0/383 बी.एन.एस.एस. के तहत दिनांक 05.08.2026 नियत कर नोटिस जारी हो। पंजीकृत किए जाने वाली प्रकीर्ण वाद की पत्रावली में इस निर्णय की एक प्रति, तहरीर **प्रदर्श क–1** की एक प्रति तथा उपरोक्त साक्षी के बतौर साक्षी पी0डब्लू01 मौखिक साक्ष्य की एक प्रति रखी जावें। तद्नुसार सत्र लिपिक आवश्यक अनुपालन करे।

दिनांक–07.07.2026

(इन्द्र प्रीत सिंह जोश)
सत्र न्यायाधीश,
शामली।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–07.07.2026

(इन्द्र प्रीत सिंह जोश)
सत्र न्यायाधीश,
शामली।